# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2021

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| 01. प्रकाशमल पुत्र श्री राणाराम उम्र 59 वर्ष जाति माली निवासी सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। | | 01.भंवरलाल पुत्र श्री जेठाराम जाति माली निवासी गाव गागुडा तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।<br>02.सरपच ग्राम पचायत सालावास पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 3057 जो ग्राम पंचायत सालावास द्वारा दिनांक 19.11.2012 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति –

1. अपीलाण्ट की और से अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की ओर से अमरसिह चौधरी उपस्थित।

आदेश

दिनांक :–24-03-22

01.अपीलार्थी द्वारा एक अपील नामान्तकरण सख्या 3057 ग्राम सालावास जो कि ग्राम पचायत सालावास द्वारा स्वीकृत किया गया है के विरूद्व पेश की है। प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर मे अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या 01 भंवरलाल एवं सख्या 02 ग्राम पंचायत सालावास के विरूद्व अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सालावास द्वारा नामान्तकरण सख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को प्रस्ताव संख्या 8 के जरिये स्वीकृत किया गया। जिसको निरस्त करवाने हेतु पेश की गई साथ मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी से पेश अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर अपीलान्ट के पिता राणाराम पुत्र लालूरामजी के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल 2 रकबो का योग 70 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सालावास पटवार हल्का सालावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय मे से 8 बीघा भूमि को अपीलान्ट के पिता राणाराम द्वारा अपने जीते जी श्रीमती सुरजदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति वैष्णव निवासी नन्दवान एवं श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रकाश वैष्णव निवासी बोरानाडा को सयुक्त रूप से बेचान किया गया जिसका नामान्तकरण सख्या 2364 भरा गया। बेचान किये जाने के पश्चात अपीलान्ट के पिता राणाराम के खसरा नम्बर 37 मे रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल दो रकबो का योग 62 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी मे शेष रही एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 मे दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल के पिता जेठाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 1.8900 हैक्टर 53 रकबा 0.7200 हैक्टर 54 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल 3 रकबो का योग 3.4100 हैक्टर वाके ग्राम गागुडा तहसील सोजत जिला पाली आई हुई होने तथा एकमात्र रेस्पोडेन्ट सख्या 01 विधिक उत्ताराधिकारी है। लेकिन भवरलाल सालावास मे रहने के कारण भंवरलाल की भुआ चौथी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पत्नी बुधाराम द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करना व बाद मे सोहन व नेमाराम के पिता भूराराम ने रेस्पोडेन्ट सख्या 01 भंवरलाल को 15–20 वर्ष पूर्व फौत बताकर उपरोक्त जमीन भूराराम पुत्र बुधाराम के जरिये विरासत के अपने नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 25.03.2011 सरपंच ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा स्वीकृत करवाकर प्राप्त की गई। भूराराम पुत्र बुधाराम कि दिनांक 20.02.2010 को फौत होने पर भूराराम के पुत्र सोहन परसाराम नेमाराम भंवरलाल व पत्नी मूलीदेंवी पुत्रियॉ नाजीदेवी व प्रेमीदेवी के नाम नामान्तकरण संख्या 960 दिनांक 05.03.2011 को सरपच ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात भूराराम के वारिसान/खातेदारो द्वारा नेमाराम पुत्र भूराराम के हक मे हकतर्कनामा का निष्पादन किये जाने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 1190 दिनांक 06.08.2013 को सरपंच ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा स्वीकृत किया गया। नेमाराम द्वारा उपरोक्त कुषि भूमि मे से पुखराज पुत्र अमराराम विशनाराम पुत्र अमराराम को 15/63 हिस्सा व लखाराम शेषाराम राजाराम दिनेश पिसरान् वानाराम को 27/63 हिस्सा का दिनांक 25.07.2014 को बेचान कर दिया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 1231 दिनांक 22.09.2014 को सरपंच ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा स्वीकृत किया गया। उपरोक्त कृषि भूमि के सबध मे भरे गये नामान्तकरण की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, भवरलाल द्वारा अभियुक्तगण सरपंच चेलाराम ग्राम पंचायत गागुडा उपसरपच बोराराम ग्राम पंचायत गागुडा सोहनलाल नेमाराम पिसरान नामालुम पटवारी मोहनसिह हल्का हिंगावास भू–अभिलेख निरीक्षक रणजीतसिह चाडवास सोहनराम पारसराम नेमाराम भंवरलाल पिसरान भूराराम नोजीदेवी प्रेमीदेवी पुत्रिया भूराराम पुखराज विश्नाराम पुत्रान् अमराराम लखाराम पुत्र शेराराम राजाराम दिनेश पुत्रान् कानाराम के विरूद्व अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 व 120 बी भारतीय दण्ड सहिता मे एक परिवाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के समक्ष दिनांक 07.04.2015 को पेश किया गया। जो जॉच हेतु पुलिस थाना शिवपुरा को धारा 156(3)सीआरपीसी के तहत अनुसंधान हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 47 दिनाक21.04.2015 को दर्ज कर बाद अनुसधान के अभियुक्त बोराराम नेमाराम चेलाराम व भंवरलाल के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, व 120 बी भारतीय दण्ड सहिता मे माननीय न्याायिक मजिस्ट्रेट सोजत के समक्ष पेश किया गया जो वर्तमान मे प्रकियाधीन है।

02. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भवरलाल पुत्र जेठाराम की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 1.8900 हैक्टर 53 रकबा 0.7200 हैक्टर 54 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल 3 रकबो का योग 3.4100 हैक्टर वाके गाव गागुडा तहसील सोजत जिला पाली जो कि सोहनलाल नेमाराम पुत्र भूराराम पुखराज पुत्र अमराराम विश्नाराम पुत्र अमराराम लछाराम पुत्र शेसाराम राजाराम पुत्र कानाराम व दिनेश पुत्र कानाराम जातियान माली के नाम दर्ज हेा जाने की अवस्था मे उपरोक्त खातेदारान् एव सरपंच ग्राम पंचायत गागुडा के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भवरलाल द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 (1)(डी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 25.03.2011 नामान्तकरण संख्या 960 दिनांक 05.03.2011 नामान्तकरण संख्या 1190 दिनांक 06.08.2013 एवं नामान्तकरण संख्या 1231 दिनांक 22.09.2014 को निरस्त करवाने हेतु दिनांक 01.06.2017 को प्रस्तुत कर उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 933, 960, 1190, व 1231 को अपास्त करवाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पेतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 1.8900 हैक्टर 53 रकबा 0.7200 हैक्टर 54 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल 3 रकबो का योग 3.4100 हैक्टर वाके गांव गागुडा तहसील सोजत जिला पाली की कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम से दर्ज कराने की प्रार्थना की गई। दौराने विचारण माननीय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र सुना जाकर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रानी

दिनांक 30.01.2019 को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। उक्त अपील मे दिनांक 30.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्व सोहनलाल नेमाराम पुत्रान् भूराराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल व अन्य के विरूद्व निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 789/2019 एलआर एक्ट,जिला पाली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रार्थना पत्र एवं माननीय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष अपील संख्या 02/2017 विचाराधीन है।

03- अपीलान्ट के पिता स्व0 राणारामजी पुत्र लालूरामजी की वंश/वंशावली/सजारा निम्नानुसार है:–

राणाराम पुत्र लालूराम (फौत)

⇓

पेपीदेवी पत्नी (फौत)

| प्रकाशमल (पुत्र) | राधा पुत्री(फौत) | पानी देवी पुत्री | पुष्पा पुत्री (फौत) |
|---|---|---|---|

उपरोक्त वारिसान के अलावा स्व0 राणारामजी के अन्य कोई वारिस नही है।

04. अपीलान्ट के पिता स्व0 राणारामजी का विवाह पुर्व मे वर्ष 1955 मे श्रीमती आसीदेवी के साथ गांव चौखा मे हुआ था। लेकिन राणारामजी व आसीदेवी का दाम्पन्य जीवन का सुचारू रूप से निवर्हन नही होने के कारण छूट–पल्ला होने के पश्चात श्रीमती पेपीदेवी के साथ वर्ष 1960 मे राणाराम जी का नाता विवाह गांव राणावास जिला पाली मे किया गया था। पुर्व मे पेपीदेवी का विवाह जेठाराम पुत्र दौलाराम जाति माली निवासी गागुडा के साथ वर्ष 1954 मे हुआ था। पेपीदेवी एवं जेठाराम के दाम्पत्य जीवन के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भवंरलाल का वर्ष 1957 मे जन्म हुआ था,अपीलान्ट की माता पेपीदेवी द्वारा अपीलान्ट के पिता राणाराम के साथ पुर्न:विवाह वर्ष 1960 मे किया गया। राणाराम एवं श्रीमती पेपीदेवी के दाम्पत्य जीवन के दौरान अपीलान्ट प्रकाशमल (पुत्र) का जन्म वर्ष 1962 मे एवं पुत्रियां राधा का जन्म वर्ष 1965 मे पानीदेवी का जन्म वर्ष 1967 मे व पुष्पा का जन्म वर्ष 1970 मे हुआ। राणाराम की पुत्रियॉ मे से राधा एवं पुष्पा का देहान्त हो चुका है। पानीदेवी जीवित है उक्त के अलावा अन्य कोई संतान नही है।

05. अपीलान्ट की माता श्रीमती पेपीदेवी द्वारा अपीलान्ट के पिता राणाराम से पुर्नविवाह करने के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल की आयु करीब दो–ढाई वर्ष होने की अवस्था मे वह श्रीमती पेपीदेवी के साथ सालावास आकर रहा एवं बाद मे यही पर पला व बडा हुआ एवं अपीलान्ट की माता पेपीदेवी के साथ में रहा लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल जो कि जेठाराम का जायन्दा पुत्र होने की अवस्था मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भवरलाल का जेठाराम की जायदाद वाके गांव गागुडा मे आई हुई होने की अवस्था मे जेठाराम की चल व अचल सम्पति पर एकमात्र हक–हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता राणाराम की सम्पति मे कोई हक व हिस्सा नही है। बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल के पिता जेठाराम का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जेठाराम का विधिक उत्तराधिकारी होने से जेठाराम की सम्पति मे से ही हक एवं हकूक प्राप्त है।

06. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल बाल्य अवस्था मे ही अपीलान्ट की माता श्रीमती पेपीदेवी के साथ आने एवं अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे नासमझी की अवस्था मे अपना भाई समझते हुए साथ मे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रानी

रखा तथा अपीलान्ट के पिता श्री राणाराम का दिनॉक 13.08.2011 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 37 मे रकबा 43 बीधा 7 बिस्वा एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल दो रकबो का योग 62 बीधा 10 बिस्वा भूमि के सबंध मे अपीलान्ट प्रकाशमल व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल एवं अपीलान्ट की माता व बहिनो द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 43 बीधा 7 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट के हक मे हकतर्कनामा के जरिये दिनांक 18.01.2012 को हकतर्क कर निष्पादन करवाया गया। जिसका पंजीयन उपपंजीयक तृतीय जोधपुर क यहां दिनांक 18.01.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 458 मे पृष्ठ संख्या 37 कम्र संख्या 2012000947 पर पंजीबद्व किया गया एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल के हक मे अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की माता व बहिनो द्वारा हकतर्कनामा के जरिये दिनांक 18.01.2012 को हकतर्क कर निष्पादन करवाया गया। जिसका पंजीयन उपपजीयन तृतीय जोधपुर के यहा दिनांक 18.01.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 458 मे पृष्ठ संख्या 38 कम्र संख्या 2012000948 पर पंजीबद्व किया गया।

07. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल जो कि अपीलान्ट के पिता राणारामजी का जाईन्दा पुत्र नही था,लेकिन अपीलान्ट की माता पेपीदेवी के दबाव मे अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की बहिने श्रीमती पुष्पा पानीदेवी व माता पेपीदेवी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल के हक मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि का जरिये हकतर्कनामा दिनांक 18.01. 2012 को हकतर्क किया गया एवं राजस्व रेकार्ड मे श्रीमान तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक भू.अ/12/2220 दिनांक 09.07.2012 की पालना मे खातेदार राणाराम का देहान्त हो जाने एवं बाद मे श्रीमती पेपीदेवी का देहान्त हो जाने से पंजीबद्व हकतर्कनामा के आधार पर जरिये नामान्तकरण सख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा स्वीकृत किया गया।

08. पुर्व मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक भूमि गांव गागुडा मे होने के सबध मे अपीलान्ट को जानकारी नही थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गांव गागुडा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 1.8900 हैक्टर 53 रकबा 0.7200 हैक्टर 54 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल 3 रकबो का योग 3.4100 हैक्टर होने की जानकारी होने तथा उक्त भूमि को फर्जी तरीके से नामान्तकरण होने के सबध मे जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा फौजदारी व दीवानी कार्यवाही की गई। ऐसी अवस्था मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जेठाराम का जाईन्दा पुत्र होने तथा जेठाराम की चल व अचल सम्पति मे हक–हिस्सा होने एवं अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सालावास मे कोई हक–हिस्सा नही होने की अवस्था मे नामान्तकरण संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सरपंच ग्राम पचायत सालावास द्वारा स्वीकृत किया गया जो कि विधि विरूद्व है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपीलान्ट की पैतृक भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक–हिस्सा नही है एवं स्व0 राणारामजी का उत्तराधिकारी नही है। ऐसी अवस्था मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को अपास्त कर स्व0 राणारामजी के विधिक उत्तराधिकारी के हक मे स्वीकृत किया जाना न्यायाहित मे आवश्यक है।

09. उक्त नामान्तकरण संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत सालावास द्वारा स्वीकृत किया गया तब राणारामजी के विधिक उत्तराधिकारी की जॉच किये बिना स्वीकृत किया गया,जो कि विधि विरूद्व होने की अवस्था मे अपीलान्ट के अधिकारो के विरूद्व शून्य एवं बेअसर है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

10. नामान्तकरण संख्या 3057 दिनाक 1.11.2012 विधि–विरूद्व होने की स्थिति मे दिनांक 25.06. 2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरलाल जेठाराम का जाईन्दा पुत्र होन एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भवरलाल के पिता जेठाराम की चल व अचल सम्पति मे हक–हिस्सा निहित होने की अवस्था मे नामान्तकरण संख्या 3057 की दिनांक 29.06.2021 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है जो कि ज्ञान की तारीख व नकल प्राप्त होने से उक्त अपील अन्दर म्याद है तथा जिस हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का अलग से प्रस्तुत किया गया। जहॉ देरी से प्रस्तुत अपील मे विधि का सारवान बिन्दु अन्तर्लिप्त होने अर्थात जब भंवरलाल स्वयं के पिता की सम्पति होने की अवस्था मे स्वयं के पिता की सम्पति मे हिस्सा होने तथा माता द्वारा नाता विवाह करने की अवस्था मे केवल मात्र माता के साथ आने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माता द्वारा नाता विवाह से पति की सम्पति मे से हक–हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बल्कि स्वयं के पिता की सम्पति मे से ही हक–हिस्सा प्राप्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्वयं के पिता जैठाराम की सम्पति मे से हक प्राप्त करने के सबध मे आवश्यक कार्यवाही की गई। ऐसी अवस्था मे उक्त विधिक तथ्य अन्तर्लिप्त होने की अवस्था मे तथा इसके संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2016 Part-4 page 1729 पेश है जिसमे देरी से पेश अपील को अन्दर म्याद शुमार किया गया तथा अपील को गुणावगुण पर सुना गया है तथा देरी से प्रस्तुत अपील को डिले –कण्डोन किया जाकर अपील को गुणवगुण पर ही निर्णित किया जाना न्यायाचित है तथा उपरोक्त आधारो से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो कि जेठाराम का जायन्दा पुत्र है तथा स्वंय द्वारा जेठाराम का जायन्दा पुत्र होते हुए पुलिस थाना शिवपुरा मे अभियुक्तगण बोराराम नेमाराम चेलाराम व भंवरलाल के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत कर बाद अनुसंधान के अभियुक्तगण बोराराम नेमाराम चेलाराम व भंवरलाल के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, व 120 बी भारतीय दण्ड सहिता मे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के समक्ष पेश किया गया एवं राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष सोहनलाल वगैरा के विरूद्व धारा 75(2)(DLR ACT) के तहत अपील प्रस्तुत कर कार्यवाही की गई है। इस आधार पर अपीलान्ट दवारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावें तथा लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01. श्री भंवरलाल जो कि जेठाराम का पुत्र हैं ना कि स्व0 राणराम का पुत्र है। जो पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से साबित हैं। इस आधार पर यह अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील एवं अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन किया। दौरान बहस के प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक उद्वरणो का अध्ययन कर विचार किया कि अपीलान्ट की अपील को न्यायहित में अन्दर म्याद सुमार किया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 स्व0 राणाराम का पुत्र नहीं होते हुए भी बिना किसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण को बिना जांच किये अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। जो विधिविरुद्व प्रतीत होता हैं।

हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भवरलाल , जेठाराम का जाईन्दा पुत्र होने एवं स्वयं के पिता जेठाराम की चल व अचल सम्पति में हक हिस्सा निहित होने की स्थिति में माता दवारा नाता विवाह करने की अवस्था में केवल मात्र माता के साथ आने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माता दवारा नाता विवाह से पति की सम्पति

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रणी

में से हक–हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 01 को स्वय के पिता की सम्पति में से हक–हिस्सा प्राप्त हैं तथा स्वंय के पिता जेठाराम की सम्पति में से हक प्राप्त करने के संबध में स्वयं द्वारा जेठाराम का जाईन्दा पुत्र होते हुए पुलिस थाना शिवपुरा मे अभियुक्तगण बोराराम, नेमाराम, चेलाराम व भवंरलाल के विरुद्व, परिवाद प्रस्तुत कर बाद अनुसंधान के अभियुक्तगण बोराराम, नेमाराम, चेलाराम व भवंरलाल के विरुद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के समक्ष पेश किया एवं राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष सोहनलाल वगैरा के विरुद्व धारा 75(2) (राजस्थान भू राजस्व अधिनियम) के तहत अपील प्रस्तुत कर कार्यवाही की गई।

ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 01. स्व0 राणाराम का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का वारिस नही होने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3057 ग्राम सालावास स्वीकृत दिनांक 19.11.2012 ग्राम पंचायत सालावास निरस्त योग्य प्रतीत होता हैं।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 3057 ग्राम सालावास स्वीकृत दिनांक 19.11.2012 ग्राम पंचायत सालावास को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि स्वं0 राणाराम पुत्र लालूराम जाति माली निवासी ग्राम सालावास के विधिक वारिसान की जांच कर एवं नामान्तरणकरण संख्या 3057 के कालम संख्या 14 से 16 में वर्णित पंजीबद्व हकर्तकनामों को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित करें।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
न्यायालय सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी लूणी